M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2021

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
No. of Printed Pages : 12

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Question/ प्रश्न | Marks अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों की विरचना

Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given hereunder. **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

The plaintiff (daughter) filed a civil suit on 24/07/2011 against her father (defendant No.1), her brother (defendant No.2), her mother (defendant No.3) and respondents No. 4, 5 in whose favour sale-deed dated 23/11/2010 has been executed by defendant No.1. It is claimed in suit that she has 1/4 th share in agriculture land having Khasra No. X, Y, Z (disputed lands) and she is entitled for partition and separate possession. It is also claimed that the sale deeds dated 23/11/2010 is null and void.

According to the plaint, the plaintiff, plaintiff's father, plaintiff's brother and plaintiff's mother constituted a Hindu Undivided Family and are coparceners governed by Mitakshara Law. Plaintiffs father (defendant No.1) and his brother Pramod, their father late Shri Moongaram and his father late Shri Bhima shanker owned agriculture land Khasra No. A & B which was ancestral property. Partition has already took place between plaintiff's father and his brother Pramod. Disputed lands were purchased by plaintiff's father out of the income of the aforementioned ancestral agriculture land. Thus, the disputed lands are undivided ancestral properties of plaintiff and defendant No.1, 2 and 3. Therefore, since her birth, the plaintiff has 1/4th share in the disputed property along-with defendant No.1, 2 and 3. The defendant No.4 and 5 by playing fraud and coersion on defendant No.1, influenced him to execute sale deed dated 23/11/2010 in favour of defendant No. 4 & 5 without consideration. Therefore, the alienation made by defendant No.1 vide sale deed dated 23/11/2010 is not binding and this sale-deed be declared null and void.

DEFENDANT'S PLEADINGS –

Defendant No.1, 2 and 3 in their written statement admitted the facts alleged in the plaint and also admitted plaintiff's claim.

The defendant No. 4 and 5 filed a separate written statement denying the facts alleged in the plaint. It is pleaded that the disputed lands were self acquired property of defendant No.1 and defendant No.1 with his free consent, executed sale deed dated 23/11/2010 in favour of defendant No. 4 & 5 for his personal needs. Full consideration amount was paid by the defendants No. 4 & 5 to defendant No.1. This is a collusive suit and liable to be dismissed with exemplary cost.

प्रश्न 1 निम्नांकित अभिवचन के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन

वादी (पुत्री) ने अपने पिता (प्रतिवादी क्र.1), भाई (प्रतिवादी क्र.2), मां (प्रतिवादी क्र. 3) और प्रतिवादी क्र.4 व 5, जिनके पक्ष में प्रतिवादी क्र.1 ने विक्रय पत्र दिनांक 23.11. 2010 निष्पादित किया था, के विरूद्ध दिनांक 24.07.2011 को वाद प्रस्तुत किया। वाद में यह दावा किया गया है कि उसका विवादित भूमि खसरा क्र. एक्स, वाय, जेड में (विवादित भूमियाँ) 1/4 वाँ हिस्सा है और वह बंटवारे एवं पृथक कब्जा पाने की अधिकारी है। यह भी दावा किया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 शून्य व अप्रभावी है।

वाद पत्र के अनुसार वादी, वादी के पिता, वादी के भाई और वादी की मां एक संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार का गठन करते हैं और सहदायिक होकर हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते हैं। वादी के पिता (प्रतिवादी क्र.1) और उनके भाई प्रमोद तथा इन दोनों के पिता स्वर्गीय श्री मुंगाराम और मुंगाराम के पिता स्वर्गीय श्री भीमाशंकर कृषि भूमियों खसरा क्र. ए और बी के भूमि स्वामी थे और यह पैतृक भूमियां थी। वादी के पिता एवं उनके भाई प्रमोद के बीच बंटवारा हो चुका है। विवादित भूमियों को वादी के पिता ने पूर्व वर्णित पैतृक कृषि भूमियों से अर्जित आय से क्रय किया था। इस प्रकार विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 की अविभाजित पैतक सम्पत्तियां हैं। अत वादी का उसके जन्म से 1/4 वाँ हिस्सा प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 के साथ है। प्रतिवादी क्र.4 व 5 ने प्रतिवादी क्र.1 के साथ छल एवं कपट करके प्रतिवादी क्र.1 को प्रभावित कर प्रतिवादी क्र.4 व 5 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23. 11.2010 को बिना प्रतिफल के निष्पादित कराया था। अतः विक्रय पत्र दिनांक 23.11. 2010 से प्रतिवादी क्र.1 द्वारा किया गया अंतरण बंधनकारी नहीं है और इसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाये।

प्रतिवादीगण के अभिवचन

प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित सभी तथ्यों और वादी के दावों को स्वीकार किया है।

प्रतिवादी क्र.4 व 5 ने पृथक जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया है। उनका अभिवचन है कि विवादित भूमियां प्रतिवादी क्र.1 की स्व अर्जित सम्पत्ति थी और प्रतिवादी क्र.1 ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु अपनी स्वतंत्र सम्मति से प्रतिवादी क्र.4 व 5 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 निष्पादित किया था। प्रतिवादी क्र.4 व 5 द्वारा प्रतिवादी क्र.1 को पूरा प्रतिफल अदा किया गया था। यह दुःस्संधि वाद है और उदाहरणात्मक खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under – **10**
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/आरोपों की विरचना कीजिये।

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS -

Deceased Prashant and accused Vinod were friends. On the date of incident, deceased Prashant called accused Vinod and asks him to come to his flat and when Vinod reached at his flat he found Prashant angry

and restless. As Prashant saw to the accused, he asked him why he is spreading all sort of rumors and bad things about him. Accused denied doing as such anything but Prashant was not convinced. Prashant threatened the accused that if he will keep continue spreading rumors about him he will make public his illicit relationship with his neighbour woman. Accused Vinod got enraged, he picked up a nylon rope lying nearby and strangulated Prashant to death. After Prashant died accused pushed his dead body under his bed. Accused picked up Prashant's mobile phone and nylon rope, locked the flat from outside and drove away on his motorcycle. On his way to home, accused threw the nylon rope and sim card installed in Prashant's mobile phone, into the river and hid the mobile phone under his bed in his house.

<u>अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन</u>–

अभियुक्त विनोद एवं मृतक प्रशांत मित्र थे। घटना दिनांक को प्रशांत ने विनोद को फोन किया और कहा कि वह उसके फ्लैट पर आये और जब विनोद प्रशांत के फ्लैट में पहुंचा तो उसने प्रशांत को गुस्से में और अशांत पाया। जैसे ही प्रशांत ने आरोपी को देखा उसने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में सभी प्रकार की अफवाह और बुरी बातें क्यों फैलाते हो? अभियुक्त ने ऐसा कुछ भी करने से इंकार किया, किंतु प्रशांत संतुष्ट नहीं हुआ। प्रशांत ने अभियुक्त को धमकी दी कि वह उसके बारे में अफवाह फैलाना जारी रखेगा तो वह उसके पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंधों को सार्वजनिक कर देगा। अभियुक्त विनोद गुस्से में आ गया और उसने वहीं पड़ी नायलोन की रस्सी उठाकर प्रशांत का गला घोट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रशांत की मृत्यु के बाद अभियुक्त ने उसके शव को उसके बिस्तर के नीचे धकेल दिया। अभियुक्त ने प्रशांत का मोबाइल और नायलोन की रस्सी उठा ली, फ्लैट को बाहर से ताला लगाया और अपनी मोटर साईकिल से वहां से चला गया। घर के रास्ते में उसने नायलोन की रस्सी और मृतक के मोबाइल में लगे सिम कार्ड को नदी में फैंक दिया और मोबाइल को अपने घर में अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया।

<u>JUDGMENT WRITING (CIVIL)</u>

Q.3 Write a judgement on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts:- **40**

<u>Plaintiff's Pleadings</u> :-

Plaintiff agreed to purchase a piece of land admeasuring area 1 Bigha out Khasra no. 333 of Village Khamariya from the defendant No.1 for consideration of Rs.2,00,000/-. At the time of agreement Rs.25,000/- was given as earnest money whereas rest amount was to be paid at the time of registration of sale deed. It was agreed that before registration of sale deed, seller/defendant No.1 will get permission of sale and obtain NOC from revenue department, within a period of six

months. The defendant No. 1 did not take any steps to take permission and NOC. On the request of defendant No.1, plaintiff further paid him Rs.1,00,000/- out of the consideration amount. On asking for registration of sale deed, defendant No.1 said that he did not get permission and NOC and lateron denied to execute the sale deed. Defendant No. 2 has unauthorized possession over the land. Plaintiff was always ready and willing to perform his part of contract. Therefore, suit for specific performance of contract and possession of suit land has been filed.

Defendant's Pleadings :-

Defendant No. 1 pleaded that he has not executed any agreement in favour of plaintiff regarding land. He had handed over the possession of land almost 15 years back to the defendant No. 2 under an oral agreement to sale. He borrowed a sum of Rs.1,25,000/- from the plaintiff and he is ready to return the same. Plaintiff fraudulently obtained his signature on any document but he never executed any agreement to sell in his favour.

Defendant No. 2, has filed separate written statement and pleaded that he took possession of land from defendant No. 1 under oral agreement to sale almost 15 years back and now he has become owner of land by adverse possession. The defendant No. 1 has no right to sell the land to the plaintiff. Both the defendants prayed for dismissal of suit.

Plaintiff's Evidence :-

Plaintiff has proved the agreement. He produced attesting witness to prove transaction and he also proved receipt of the payment. He has also proved that he has sufficient money for payment of rest consideration amount and registration expenses of sale deed but the defendant No. 1 has not made Registration of land despite repeated requests.

Defendant's Evidence :-

Defendant No. 1 appeared as witness and gave an oral statement regarding transaction with defendant No.2. He has admitted that he received Rs.125000/- from the plaintiff on the two different occasions. He admitted his signature on the agreement.

In support of his pleadings, the defendant No. 2 has filed entries of revenue record showing his possession over disputed land for fifteen years. He admitted that name of the defendant No. 1 is in revenue record as a owner of the disputed land. He did not say anything about making payment of consideration of land.

Arguments of Plaintiff :-

Possession of defendant No. 2 over disputed land is unauthorized. Oral agreement without consideration has no significance. He is entitle for registration of sale deed in his favour and for possession of land from defendant No.2.

Arguments of Defendant :-

Defendant No. 2 has already got ownership of disputed land on the basis of adverse possession. Therefore, plaintiff can get relief of refund of money only.

प्रश्न 3 निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय, विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

वादी ने प्रतिवादी क्र. 1 से ग्राम खमरिया की खसरा नं. 333 की भूमि में से एक बीघा भूमि 2,00,000/– रूपये में क्रय करने का अनुबंध किया। अनुबंध के समय 25,000/– रूपये बयाना राशि के रूप में दिये गये जबकि, शेष राशि विक्रय पत्र के पंजीयन के समय अदा की जानी थी। यह तय हुआ कि विक्रय पत्र पंजीकरण के 6 माह पूर्व प्रतिवादी क्र. 1 भूमि के विक्रय की अनुमति और अनापत्ति राजस्व विभाग से प्राप्त करेगा। प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा अनुमति व अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी क्र. 1 के अनुरोध पर वादी ने उसे अतिरिक्त 1,00,000/– रूपये प्रतिफल राशि में से अदा किये। विक्रय पत्र का पंजीयन कराये जाने हेतु कहे जाने पर प्रतिवादी क्र. 1 ने कहा कि उसने अनुमति और अनापत्ति प्राप्त नहीं की और बाद में विक्रय पत्र निष्पादन अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी क्र. 2 अनधिकृत रूप से भूमि पर काबिज है। वादी हमेशा संविदा के अपने भाग के पालन हेतु तैयार व तत्पर रहा है। अतः संविदा के विनिर्दिष्ट पालन और भूमि के कब्जे हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

प्रतिवादी क्र. 1 ने यह अभिवचन किये हैं कि उसने वादी के पक्ष में कोई अनुबंध भूमि के संबंध में निष्पादित नहीं किया है। वह करीब 15 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्र. 2 को मौखिक विक्रय अनुबंध के तहत भूमि का कब्जा सौंप चुका है। उसने वादी से 1,25,000/– रूपये उधार लिये थे जो वह वापस लौटाने को तैयार है। वादी द्वारा धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये हैं परन्तु उसने कभी कोई विक्रय अनुबंध वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है।

प्रतिवादी क्र. 2 ने पृथक से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया है कि वह प्रतिवादी क्र. 1 से मौखिक अनुबंध के तहत 15 वर्ष पूर्व से भूमि का कब्जा प्राप्त कर चुका है और अब प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि का स्वामी हो चुका है। प्रतिवादी क्र. 1 को वादी की भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों प्रतिवादीगण ने दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

वादी की साक्ष्य :–

वादी ने अनुबंध प्रमाणित किया है। संव्यवहार के संबंध में अनुप्रमाणन साक्षियों को प्रस्तुत किया है और भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत की है। उसने यह भी प्रमाणित किया है कि उसके पास बकाया प्रतिफल राशि अदा करने हेतु और विक्रय पत्र के पंजीयन के खर्चे हेतु पर्याप्त राशि है किंतु प्रतिवादी न. 1 ने उसके बार–बार आग्रह के उपरांत भी भूमि का पंजीयन नहीं कराया।

प्रतिवादी की साक्ष्य :–

प्रतिवादी क्र. 1 ने स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क. 2 के साथ हुए संव्यवहार के संबंध में मौखिक कथन किये हैं। उसने यह स्वीकार किया है कि उसने वादी से 1,25,000/– रूपये दो विभिन्न अवसरों पर प्राप्त किये। उसने अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।

प्रतिवादी क्र. 2 ने अपने अभिवचनों के समर्थन में राजस्व अभिलेखों के इंद्राज प्रस्तुत किये हैं जिसमें विवादित भूमि पर उसका कब्जा 15 वर्षों से दर्शित होता है, इस बात को स्वीकार करता है कि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्र. 1 का नाम विवादित भूमि के स्वामी के रूप में दर्ज है। उसने भूमि का कोई प्रतिफल दिये जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा है।

तर्क वादी :–

प्रतिवादी क्र. 2 का भूमि पर कब्जा अनधिकृत है। बगैर प्रतिफल के किया गया मौखिक अनुबंध किसी महत्व का नहीं है। वह भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में कराने और भूमि का कब्जा प्रतिवादी क. 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

तर्क प्रतिवादी :–

प्रतिवादी क्र. 2 भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त कर चुका है। इस कारण वादी सिर्फ राशि वापस प्राप्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge on the basis of the given facts and write a judgement with reasons on the basis of allegations, evidence and arguments given hereunder, keeping in mind the relevant provisions of the concerned laws. **40**

Prosecution case :-

(i) On 05.02.2021 at about 3 p.m., the accused Dayaram armed with a 12-bore gun and accompanied with co-accused Harisingh, Ajmersingh, Ramswaroop and Kaptansingh came to the house of Khalaksingh (now deceased) at village Rampur and abused him. In response, Khalaksingh also uttered abusive words. Being enraged, Dayaram fired at Khalaksingh with his gun. The injured body of Khalaksingh started profusely bleeding. He walked a few paces and fell down. On hearing sound of firing, villagers including Khalaksingh's brother Jhandusingh (PW5), neighbours Raghuvirsingh (PW9) and Jashwatsingh (PW2)

rushed to the spot where Khalaksingh made an oral statement to them that it was Dayaram only who had caused guns shot injuries. After that immediately, Khalaksingh succumbed to the injuries.

(ii) On the same day at 5 p.m., Jhandusingh lodged the F.I.R (Ex.P-3) at P.S Rampur. It was recorded by SHO P.D. Mishra (PW14) who registered a case under Sections 147 and 302 read with S. 149 of the IPC. After inquest proceedings, panchnama (Ex.P-1) was prepared. Dead body of Khalaksingh was taken by Constable Bajrang Singh (PW12) to the hospital for post-mortem. Autopsy Surgeon Dr. D.K Kulshrestha (PW11) opined that cause of Khalaksingh's death was gun shot injuries described in the post-mortem report (Ex.P-15) as under -

> "There was a lacerated wound 12 cm. x 10 cm. x 8 cm. irregular in shape, over the left axilla and chest. Blood-clots were present. There was tattooing around the wounds and the muscles were lacerated, pleura was lacerated on the left side. Left lung was lacerated. 2nd and 3rd ribs were found fractured".

Dr D.K Kulshrestha also extracted 12 pellets from the dead body and sealed them in a packet that was handed over to Bajrang singh.

(iii) During investigation, Head Constable Gotiram (PW13) prepared spot map (Ex.P.-11) and seized blood stained soil from the place of shooting and also from the place where the injured Khalaksingh had fallen down (as per seizure memos Exhibits P-12 and P-13). Blood stained pellets extracted by the Autopsy Surgeon were also seized vide memo (Ex.P-4). All the five accused were arrested on 26-02-2021 and arrest memos (respectively Ex.P-6 to P-10) were prepared. A 12 bore gun and 9 Cartridges, were seized from the possession of Dayaram, and seizure memo (Ex. P-5) was made.

(iv) All the seized articles were sent to FSL, Sagar along with letter, copy of which is (EX.P-14). The Ballistic Expert's report (Ex.P-16) indicated the gun allegedly seized from Dayaram was not in perfect working condition but it was capable of firing 12-bore cartridges.

(v) After due investigation, charge-sheet was submitted against all the five accused in the Court of JMFC, Satna who committed case to the court of Session for trial.

<u>Defence Plea :-</u>

(i) False prosecution due to prevailing animosity on account of Panchayat Election.

(ii) Someone else killed Khalaksingh who was having a consistent criminal record.

(iii) The oral dying declaration was not reliable as after receiving

injuries Khalaksingh had become unable to speak.

Evidence- for prosecution :-

(i) The prosecution examined as many as 14 witnesses including the witnesses referred to above and Man Singh (PW1), Jashwant Singh (PW2), Sultan Singh (PW3) and Layak Singh (PW4) who had allegedly witnessed Dayaram fired at Khalaksingh. The other witnesses were-

(a) Santosh Singh (PW6), the panch witness of the spot map and seizure of the bloodstained soil etc. from the spot.

(b) Kamal (PW7), the panch witness of arrest of Dayaram and seizure of the gun and cartridges from him.

(c) Thakur Singh (PW8) the panch witness of arrest of other accused.

(d) Constable Bajrang Singh (PW12) who had taken the dead body of Khalaksingh to the hospital and brought the sealed packet containing pellets to the police station.

(ii) According to Dr. D.K. Kulshrestha (PW11), the gun shot injuries found on the dead body of Khalaksingh were ante-mortem in nature and were sufficient in the ordinary course of nature to cause death. In the cross-examination, he admitted that after being shot at Khalaksingh there was a possibility of survival for 5 minutes only.

(iii) Mansingh (Pw1) deposed that he had seen Dayaram shooting Khalaksingh with the gun (Art. 'A'). He also referred to the oral dying declaration made by the deceased. In the cross-examination, Mansingh clearly admitted that the relations between Khalaksingh and Dayaram were not cordial and that they were also members of rival political parties. Sultansingh (PW3), a resident of another village, who had come to meet his cousin Khalaksingh, also supported the evidence of Mansingh. However, the other eyewitness Layak Singh (PW4) was declared hostile by the prosecution.

(iv) First informant Jhandusingh (PW5) reiterated the facts scribed in the FIR by SHO P.D. Mishra. He clearly stated that before breathing his last, Khalaksingh could reveal that he was shot by Dayaram only. His statement was corroborated by Raghuvirsingh (PW9) and Jashwant Singh (PW2) named in the FIR and also by Laxmansingh (PW10), the Patel of the village. P.D. Mishra (PW14) admitted that the deceased had criminal history.

Evidence for defence :-

The defence examined Civil Surgeon Dr. R.K. Shukla (DW1), who ruled out the possibility that after receiving the gun shot injuries, Khalaksingh was in a position to speak.

Arguments of Prosecutor :-

(i) By the evidences placed on record, charges against all the accused are proved.

(ii) The opinion of Dr. R.K. Shukla deserves to be rejected in light of overwhelming and contrary oral evidence.

Arguments of Defence Counsel :-

(i) None of the witnesses examined by the prosecution had seen the occurrence and evidence of so-called eyewitnesses not named in the FIR are unreliable. This apart, the evidence of Sultansingh deserves to be discarded as a related and chance witness.

(ii) Existence of an unlawful assembly was not established.

(iii) The prosecution evidence is not sufficient to prove any charge beyond a reasonable doubt. On the contrary, the probability of defence is clearly established.

प्रश्न 4 दिये गये तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये आक्षेपों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर सकारण निर्णय संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

(i) दिनांक 05.02.2021 को अपरान्ह 3 बजे अभियुक्त दयाराम एक बारह बोर बंदूक से सुसज्जित होकर सह–अभियुक्त हरिसिंह, अजमेरसिंह, रामस्वरूप एवं कप्तानसिंह के साथ खलकसिंह (अब मृतक) के ग्राम रामपुर स्थित मकान पर आया और उसको गालियां दी। उत्तर में, खलकसिंह ने भी अपशब्दों का उच्चारण किया। क्रोधित होकर, दयाराम ने अपनी बंदूक से खलकसिंह पर गोली चलाई। आहत खलकसिंह के शरीर से अत्यधिक रक्त स्त्राव होने लगा। वह केवल कुछ कदम ही चल सका और गिर गया। गोली की आवाज सुनकर, ग्रामवासी जिनमें खलकसिंह का भाई झंडु सिंह (अ.सा.5) पडोसी रघुवीर सिंह (अ.सा. 9) एवं जसवंतसिंह (अ.सा. 2) घटनास्थल की ओर भागे। उनके समक्ष खलकसिंह ने मौखिक कथन किया कि दयाराम ने ही उस पर गोली के घाव पहुंचाये हैं। इसके तुरंत बाद, खलकसिंह की आई चोटो से मृत्यु हो गई।

(ii) उसी दिन सायंकाल 5 बजे, झंडुसिंह ने थाना रामपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. पी. 3) लिखवाई जिसे थाना प्रभारी पी.डी. मिश्रा (अ.सा.14) ने अभिलिखित किया था और भा.द.सं. की धारा 147 तथा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। मृत्यु समीक्षा के बाद पंचनामा (प्र.पी. 1) तैयार किया गया। खलकसिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिये आरक्षक बजरंग सिंह (अ.सा. 12) द्वारा अस्पताल ले जाया गया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक डॉ डी.के. कुलश्रेष्ठ (अ.सा. 11) ने यह राय दी कि खलकसिंह की मृत्यु का कारण गनशॉट चोटें थी जिन्हे पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) मे निम्नानुसार वर्णित किया था–

> "एक फटा हुआ घाव 12 सेमी. गुणा 10 सेमी. गुणा 8 सेमी. अनियमित आकार का बाई कांख तथा सीने पर, खून के थक्के

मौजूद थे। घाव के चारों ओर गोदन (टेटूइंग) मौजूद थी और मांसपेशियां फटी हुई थीं। फुस्फुस बाई ओर फटा हुआ था, बांया फेफड़ा फटा हुआ था, दूसरी तथा तीसरी पसलियां टूटी हुई थी।''

डॉ डी.के. कुलश्रेष्ठ ने खलकसिंह के शव में से 12 छर्रे भी निकाले थे और उनको एक पैकेट में सीलबंद कर बजरंग सिंह को सौप दिया था।

(iii) अनुसंधान के दौरान प्रधान आरक्षक गोटीराम (अ.सा. 13) ने घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी. 11) बनाया था तथा उस स्थान से जहॉ पर खलकसिंह को गोली लगी थी तथा जहॉ वह गिर पड़ा था (जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 एवं प्रदर्श पी. 13 के अनुसार) खून आलूदा मिट्‌टी जप्त की थी। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक द्वारा निकाले गये रक्त रंजित छर्रे भी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी. 4) द्वारा जप्त किये गये। पांचो अभियुक्त दिनांक 26.02.2021 को गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तारी पत्रक (क्रमशः प्रदर्श पी. 6 से प्रदर्श पी. 10) तैयार किये गये। दयाराम के कब्जे से एक 12–बोर बंदूक और 9 कारतूस जप्त किये गये और जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी. 5) बनाया गया।

(iv) समस्त जप्तशुदा वस्तुएं पत्र, जिसकी प्रति (प्रदर्श पी. 14) है, के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को भेजी गई। प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी 16) में इंगित किया गया कि दयाराम से कथित रूप से जप्त की गई बंदूक पूर्णरूप से चालू स्थिति में नही थी, किंतु उससे 12 बोर के कारतूस चलाये जा सकते थे।

(v) सम्यक् अनुसंधान के उपरांत, पांचो अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने प्रकरण को विचारण के लिये सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया।

<u>प्रतिरक्षा अभिवाक :–</u>

(i) पंचायत चुनाव के कारण प्रचलित शत्रुता के आधार पर असत्य अभियोजन।

(ii) खलकसिंह, जिसका निरंतर आपराधिक रिकार्ड था, को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा गया था।

(iii) मौखिक मृत्युपूर्व कथन विश्वसनीय नही था क्योकि चोटें लगने के बाद खलकसिंह बोलने मे असमर्थ हो गया था।

<u>अभियोजन की साक्ष्य :–</u>

(i) अभियोजन पक्ष ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनमें उपरोक्तानुसार संदर्भित साक्षियों के अलावा मानसिंह (अ.सा.1), जसवंत सिंह (अ.सा.2), सुल्तान सिंह (अ.सा.3) एवं लायक सिंह (अ.सा.4) जिन्होने कथित रूप से दयाराम को खलकसिंह पर गोली चलाते हुये देखा था, सम्मिलित थे। अन्य साक्षीगण थे–

(क) संतोष सिंह (अ.सा.6) घटनास्थल के मानचित्र एवं वहां से खून आलूदा मिट्‌टी की जप्ती का पंचसाक्षी।

(ख) कमल (अ.सा.7) दयाराम की गिरफ्तारी तथा उससे बंदूक एवं कारतूसों की जप्ती का पंचसाक्षी।

(ग) ठाकुर सिंह (अ.सा.8) अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का पंचसाक्षी।

(घ) आरक्षक बजरंग सिंह (अ.सा.12) जो खलकसिंह के शव को अस्पताल ले गया था और वहॉ से एक सील पैकेट जिसमें छर्रे थे, थाने लेकर आया था।

(ii) डॉ. डी.के. कुलश्रेष्ठ (अ.सा.11) के अनुसार, खलकसिंह के शव पर पाई गई

गनशॉट चोटें मृत्युपूर्व की थीं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि गोली लगने के बाद खलक सिंह के केवल 5 मिनट जीवित रहने की संभावना थी।

(iii) मानसिंह (अ.सा.1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दयाराम को बंदूक (आर्टिकल 'अ') से खलकसिंह को गोली मारते हुये देखा था। उसने मृतक के मौखिक मृत्युपूर्व कथन को भी संदर्भित किया। प्रतिपरीक्षण में मानसिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि खलकसिंह तथा दयाराम के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण नही थे और वे परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्य थे। सुल्तान सिंह (अ.सा.3) जो अन्य गांव का निवासी था और अपने ममेरे भाई खलकसिंह से मिलने आया था, ने भी मानसिंह की साक्ष्य की संपुष्टि की। हालांकि एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लायक सिंह (अ.सा.4) को अभियोजन ने पक्ष विरोधी घोषित किया था।

(iv) प्रथम सूचनाकर्ता झंडुसिंह (अ.सा.5) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाना प्रभारी पी.डी. मिश्रा द्वारा लिखित तथ्यों को दोहराया। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अंतिम सांस लेने से पूर्व खलकसिंह यह बता सका था कि उसको दयाराम ने ही गोली मारी थी। उसके कथन का रघुवीर सिंह (अ.सा.9) तथा जसवंत सिंह (अ.सा.2) जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित थे तथा गांव के पटेल लक्ष्मण सिंह (अ.सा.10) ने समर्थन किया था। पी.डी.मिश्रा (अ.सा.14) ने स्वीकार किया कि मृतक का आपराधिक इतिहास था।

<u>बचाव साक्ष्य :–</u>

बचाव पक्ष ने सिविल सर्जन डॉ आर.के. शुक्ला (ब.सा.1) का परीक्षण कराया जिसने इस संभावना को अमान्य किया कि चोटें लगने के बाद खलकसिंह बोलने की स्थिति मे था।

<u>अभियोजक का तर्क :–</u>

(i) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित है।

(ii) अतिप्रबल एवं विरोधी मौखिक साक्ष्य के आलोक में डॉ आर.के. शुक्ला की राय अस्वीकृत किये जाने योग्य हैं।

<u>बचाव अधिवक्ता का तर्क :–</u>

(i) अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना नहीं देखी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं होने के कारण कथित चक्षुदर्शीगण की साक्ष्य अविश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त, एक रिश्तेदार एवं चांस साक्षी होने के कारण सुल्तानसिंह की साक्ष्य भी त्यक्त किये जाने योग्य है।

(ii) एक अवैध समूह का अस्तित्व स्थापित नहीं हुआ।

(iii) अभियोजन साक्ष्य किसी भी आरोप को एक युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नही है। इसके विपरीत, बचाव की संभावना स्पष्टतया प्रमाणित है।

****